

BOOK No. 4 SL No. 38
dated 22 SEP 2022



प्रपत्र-ख
शपथ-पत्र

मैं, सविता देवी पिता/पति दशरथ कुमार मजु

उम्र 44 वर्ष, *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत नगर निगम के वार्ड संख्या 17

मोहल्ला बालुघाट, पोस्ट ब्रह्मस्थान, जिला मुजफ्फर
ब्रह्मस्थान नगर

बिहार का निवासी हूँ, तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ:-

कि मैं अपना नाम निर्देशन पत्र *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत नगर निगम के वार्ड संख्या 15 के *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा/रही हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के उपबन्धों से पूर्णतः अवगत हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के तहत *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत नगर निगम के वार्ड 15 के *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन के लिए अथवा निर्वाचन के बाद अपने पद पर बने रहने के लिए अनर्हित नहीं हूँ;

कि संलग्न अनुसूचित में मेरे द्वारा ओकित की गई सूचनाएँ मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही और सत्य हैं।

1. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर - [Signature]

सविता देवी
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

नाम- Simran Sabani

पता- Balughat Bramasthan, Mu2w.15

2. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर [Signature]

नाम- Rohit Raj

पता- Madhav Nagar w.15 Mu2

gknow
Deepak Kumar
22.09.2022
Advocate

स्थान: [Signature]

दिनांक: 22.09.2022

लगातार

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक/अधिवक्ता के समक्ष शपथ ली जाएगी।

CPA

YL 0006671850

GOVERNMENT OF BIHAR
e-Court Fee



DATE & TIME : 20-SEP-2022 13:16:19
NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER : SAHAJ RETAIL LIMITED
LOCATION : CIVIL COURT MUZAFFARPUR
e-COURT RECEIPT NO : BRCT2035I2256M229
e-COURT FEE AMOUNT : ₹ 90
(Rupees Ninety Only)



BRCT2035I2256M229



Statutory Alert : The authenticity of this e-Court fee receipt should be verified at www.shojasta.govt.in details of this receipt and as available on the website renders it invalid. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority. This receipt is valid only after verification & locking by the Court Official.

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर
शपथ-पत्र के साथ दी जाने वाली सूचना



जिला के *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत से *पापंद/*उप-मुख्य पापंद/*मुख्य पापंद पद का निर्वाचन।
के वार्ड संख्या से *पापंद/*उप-मुख्य पापंद/*मुख्य पापंद पद का निर्वाचन।

अभ्यर्थी का नाम- सविता देवी

पिता/पति का नाम- र. व. कुमार महता

1. क्या आप देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा कभी कारावास या अर्धदण्ड से दंडित किये गये हैं-

(क) यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें:- नहीं

(i) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दंडित किये गये- नहीं BOOK No. 01 SL No. 36

(ii) दंडित किये जाने की तिथि एवं वाद संख्या- नहीं dated 22 SEP 2022

(iii) किये गये अपराध की प्रकृति- नहीं
(अधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित)

(iv) दिया गया दण्ड- नहीं

(v) काराधीन रहने की अवधि, यदि कोई हो- नहीं

(vi) कारावास से मुक्त होने की तिथि- नहीं

(ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरुद्ध कोई अपील/पुनर्विचार का आवेदन दायर किया गया है या नहीं? नहीं

(i) अपील संख्या/पुनर्विचार आवेदन पत्र, यदि कोई हो, का विवरण- नहीं

(ii) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र दायर किया गया- नहीं

(iii) क्या दायर अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र निष्पादित हो चुका है अथवा लंबित है- नहीं

(iv) यदि निष्पादित है, तो नहीं

(क) निष्पादन की तिथि- नहीं

(ख) पारित आदेश का संक्षिप्त विवरण- नहीं

(v) क्या अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया- नहीं

(vi) यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि- नहीं

(ग) क्या आप किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोषमुक्त (acquittal) या उन्मोचित (discharge)

किये गये हैं, यदि हाँ तो निम्न विवरण दें- नहीं

(i) न्यायालय जिसके द्वारा दोषमुक्त किये गये हैं- नहीं

(ii) आरोप की प्रकृति एवं वाद संख्या- नहीं



2. क्या आप नामांकन दाखिल करने की तिथि के छः माह के भीतर या बाहर जैसे किसी लॉबित मामले में आरोपित हैं और उसमें आरोप तैयार कर लिया गया है अथवा संज्ञान अधिन्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, जिसमें छः माह से ज्यादा की सजा हो सकती है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें:- 21.04

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है। संज्ञान लिया गया है 21.04
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- 21.04
- (iii) अपराध संख्या 21.04
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- 21.04
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- 21.04

3. क्या आपके विरुद्ध उक्त कौडका (2) में वर्णित मामले से भिन्न किसी अन्य मामले में देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें- 21.04

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/ संज्ञान लिया गया है- 21.04
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- 21.04
- (iii) अपराध संख्या- 21.04
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- 21.04
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- 21.04

4. यदि कोई निर्वाचन संबंधित अपराध लॉबित हो, तो पूर्ण विवरण- 21.04

5. अपनी परिसम्पत्ति अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण निम्नवत है:-

(क) अचल सम्पत्ति:-

(i) कृषि भूमि :- 21.04

(ii) शहरी भूमि- 10 क्वड्रां - 1,80,00,000/2

(iii) भवन- 1 क्वड्रां - 30,00,000/2

उपरोक्त की स्थिति, माप तथा वर्तमान बाजार मूल्य दिया जाए।

(ख) चल सम्पत्ति तथा उनकी वर्तमान कीमत:-

(i) नकद 50,000/- बैंक बैलेन्स- 5,77,541/-
(बैंक का प्रिन्टआउट संलग्न करें।)



(iii) फिक्स डिपोजिट 28-2
(प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

(iv) बॉण्ड, शेयर- 28-2
(इसके प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करें।)

(v) वाहन BR06AY5648
(निबंधन की छाया प्रति जिसका परिचय पदाधिकारी की मुहर के साथ संलग्न करें)

(vi) आभूषणों का विवरण सोना: 10 ग्राम
(पूर्ण विवरण दें) 5,50,000/-
चाँदी: 500 ग्राम: 35,000/-

6. ** (क) अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित के दायित्वों/ वित्तीय संस्थाओं के बकायों का पूर्ण विवरण दिए जाएं
(प्रमाण-पत्रों के साथ)

गारंटी लोन से: 4,28,000/-

(ख) अगर के.सी.सी. है तो उसके अद्यतन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति 21-2

7. अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण स्कूल व कॉलेज के नाम के साथ अंकित करें-

11/2/2

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही और सत्य हैं।

स्थान-

तिथि-

22/09/2022
22/09/2022

सविता देवी
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

** वित्तीय संस्था/बैंक/सरकार/आपका/वेल्थ टैक्स/प्रोपर्टी टैक्स/विक्री कर संबंधी बकाया।

नोट :- सभी स्तम्भ निविष्ट रूप से भरे जायें। जहाँ शून्य विवरण देना हो वहाँ "शून्य" अवश्य अंकित किया जायें।
स्तम्भ खाली छोड़ देने अथवा (X) चिह्न अंकित करने पर यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा सूचना प्रदान की चेष्टा की गई है और यह नार्माकन पत्र रह करने का आधार बन सकता है।

GKNOWI
Deepak Kumar
22/09/2022
Advocate